उन पेपरों में भाग-आई. आई. ए. परीक्षा में फिर से उपस्थित हुए।याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा आगे यह प्रतिनिधित्व किया जाता है कि वह इस स्तर पर याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2, अर्थात् अरुण कुमार मिश्रा और बिजेंद्र सिंह के मामले पर जोर नहीं *दे* रहे हैं और उन्हें खारिज करने के लिए रिट याचिका।

(11) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता संख्या 3,4 और 5 ने भाग-11ए का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर वे भाग-2ए परीक्षा में भी उपस्थित हुए हैं, 1 इस तथ्य के बावजूद समय को पीछे रखना उचित नहीं समझते हैं कि कानून बिंदु 1 पर मैं याचिकाकर्ताओं के वकील से सहमत नहीं हूं।पूर्णतया समान आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि भाग-आई. आई. ए. परीक्षा के याचिकाकर्ता संख्या 3,4 और 5 का परिणाम घोषित किया जाएगा जैसे कि उन्होंने वैध रूप से भाग-आई. आई. ए. परीक्षा दी हो।

आई.

(12) याचिकाकर्ता संख्या 3,4 और 5 के *ऊपर* की गई टिप्पणियों के अधीन, इस रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

फैसला देने से पहले, मैं यह देख सकता हूं कि इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता संख्या *3,4* और 5 के खिलाफ दिखाए गए अनुग्रह को पूर्ववर्ती के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।

जे एस टी

माननीय ए. एल. बहरी से पहले।जे. के सामने

बालबीर सिंह-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता।

1989 की नियमित दूसरी अपील *सं.* 540

5 नवंबर, 1993

भारत का *संविधान,* 1950-अनुच्छेद *226-पंजाब* राज्य *वर्ग (चतुर्थ) सेवा* नियम *1963 पंजाब राज्य* (चतुर्थ *श्रेणी*) *सेवा (हरियाणा दूसरा संशोधन) नियम 1973-आर. एल. द्वारा संशोधित। 9 (ई)-चयन* श्रेणी-उसका *अनुदान।*

अभिनिर्धारित किया गया कि निर्देशों की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि पहले से ही स्थानांतरित किए गए व्यक्ति पिछले विभाग या कार्यालय में अपनी सेवा की वरिष्ठता खो देंगे।यदि यही व्याख्या होती, तो ये निर्देश स्पष्ट रूप से ऊपर पुनरुत्पादित नियमों के नियम 9 (ई) का उल्लंघन होते।हालाँकि, ये निर्देश, यदि सही ढंग से व्याख्या करने पर यह संकेत मिलता है कि चयन श्रेणी के अनुदान के बाद ही किसी अन्य सर्कल में स्थानांतरित व्यक्ति अपनी वरिष्ठता के साथ-साथ चयन श्रेणी भी खो देगा।इस प्रकार इन निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बल्कि संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए।इन निर्देशों में उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का कोई संकेत नहीं है।

(पैरा 7)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि चयन श्रेणी प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए नवंबर, 1983 में निर्देश जारी किए गए थे।उस दिन यह देखा जाना चाहिए कि विशेष सर्कल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले व्यक्ति कौन थे और फिर वरिष्ठतम को 20 प्रतिशत शक्ति के लिए चयन ग्रेड प्रदान करना।

(पैरा 8)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता *सी. एम. चोपड़ा।*

एस. एस. खेतरपाल, डी. ए. हरियाणा, 1 से 3 प्रतिवादीओं के लिए।

प्रतिवादी संख्या 4 के *लिए एस. एस.* दलाल, अधिवक्ता

निर्णय

ए. एल. *बहरी, जे.*

(1) तथ्य विवादित नहीं हैं, जिसके आधार पर वादी-अपीलार्थी बलबीर सिंह और प्रतिवादी-प्रतिवादी सिरी राम की वरिष्ठता के निर्धारण के *प्रश्न* को सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक में उनके द्वारा रखे गए चपरासियों के पदों पर निर्धारित करने की आवश्यकता थी। निचली अदालत ने बीर सिंह द्वारा दायर मुकदमे में उन्हें वरिष्ठ बताते

हुए और सिरी राम को वरिष्ठ मानते हुए और उन्हें चयन श्रेणी देते हुए आधिकारिक प्रतिवादी की कार्रवाई को अवैध करार दिया।अभियोक्ता को चयन श्रेणी के अनुदान का हकदार माना गया था।अपील पर निचली अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया और मुकदमा खारिज कर दिया गया। इसलिए वादी द्वारा यह नियमित दूसरी अपील है।

(2) अभियोक्ता, बलबीर सिंह 1963 में चपरासी के रूप में शामिल हुए और 5 सितंबर, 1966 को उन्हें इस रूप में दृढ़ किया गया। सिरी राम को 16 नवंबर, 1964 को चपरासी नियुक्त किया गया था।हरियाणा राज्य ने फरवरी, 1981 से चयन श्रेणी प्रदान की। इस तरह के आदेश दिसंबर, 1985 के महीने में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिरी राम चपरासी को वरिष्ठ मानते हुए चयन श्रेणी दी गई थी।प्रतिवादियों ने मुकदमा लड़ते समय उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि राज्य द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हालांकि पहले वरिष्ठता राज्य स्तर पर थी, नई वरिष्ठता सर्कल-वार निर्धारित की गई थी और इसलिए, अभियोक्ता ने झज्जर में अपनी पिछली सेवा की वरिष्ठता खो दी क्योंकि अप्रैल, 1981 में उनका तबादला सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक के कार्यालय मे किया गया था। पक्षकारों की दलीलों पर निम्नलिखित मुद्दे बनाए गए थेः—

(1) क्या दिसंबर, 1985 में अभियोक्ता को चयन श्रेणी देने से इनकार करने वाले आदेश ईमानदार, मनमाने और बिना अधिकार क्षेत्र के हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है? ओपीपी

(2) क्या अभियोक्ता का मुकदमा पूर्व-परिपक्व है? ओपीडी

(3) क्या अभियोक्ता के पास वाद हेतुक नहीं है? ओपीडी

(4) क्या प्रतिवादियों को खंड 80 सी. पी. सी. के तहत कोई वैध नोटिस नहीं दिया गया है? यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीडी

(5) राहत|

(3) मुद्दा संख्या 1 के तहत निचली अदालत ने कहा कि अभियोक्ता ने झज्जर से अपने स्थानांतरण पर उन निर्देशों के कार्यान्वयन में अपनी वरिष्ठता नहीं खोई जो उसके बाद अस्तित्व में आए। इस तरह के निर्देश 7 नवंबर, 1983 को जारी किए गए थे *(प्रदर्शनी डी. डब्ल्यू. 1/बी.)*| कर्मचारियों से उनकी वरिष्ठता बनाए रखने के संबंध में इस

तरह के निर्देशों को लागू करने पर कोई विकल्प प्राप्त नहीं किया गया था। इस तरह के निर्देशों पर वरिष्ठता सर्कल-वार तय करते समय, उससे पहले की सेवा की अवधि को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी द्वारा सिरीराम को चयन श्रेणी प्रदान करने की कार्रवाई को, जिसमें सुखबीर सिंह के मामले की अनदेखी की गई थी, अवैध माना गया। प्रतिमुकदमाी के खिलाफ मुद्दे संख्या 2 से 4 का फैसला किया गया और मुकदमे का फैसला किया गया।निचली अपीलीय अदालत ने मुद्दा संख्या 1 के तहत निचली अदालत के निष्कर्ष को उलट दिया है, जिसमें कहा गया है कि रोहतक में स्थानांतरण पर वरिष्ठता का निर्धारण करते समय झज्जर में सेवा की पिछली अवधि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(4) न्यायालयों के समक्ष पक्षकारों ने यह धारणा दी कि राज्य स्तर पर या सर्कल स्तर पर उनकी वरिष्ठता के तरीके के निर्धारण के संबंध में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा के लिए कोई सेवा नियम लागू नहीं थे।दलीलों के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने पंजाब राज्य (क्लास टीवी) सेवा (हरियाणा दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (जिसे इसके बाद 'नियम' कहा जाता है) नियम 9, पंजाब राज्य (क्लास टीवी) सेवा नियम, 1963, द्वारा संशोधित, का उल्लेख किया है, जो सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है।

> *"9. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठताः—सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता प्रत्येक विभाग या कार्यालय में सेवा में एक पद पर* ***निरंतर सेवा*** *की अवधि से अलग से निर्धारित की जाएगीः*
>
> *बशर्ते कि जहां सेवा में अलग-अलग संवर्ग हैं, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए वरिष्ठता अलग- अलग निर्धारित की जाएगीः*
>
> *बशर्ते कि एक ही तिथि पर दो या दो से अधिक सदस्यों की नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगीः—*
>
> (a) *प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य अन्यथा भर्ती किए गए सदस्य से वरिष्ठ होगा।*
>
> (b) *पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा।*
>
> (c) *पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में वरिष्ठता का निर्धारण उस नियुक्ति में उनकी वरिष्ठता के अनुसार किया जाएगा जिससे उन्हें पदोन्नत किया*

जाता है।

(d) *समान पदों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में वरिष्ठता का निर्धारण उस संवर्ग में पहले की गई नियुक्तियों में वरिष्ठता के अनुसार किया जाएगा।*

(e) *विभिन्न विभागों या सरकारी कार्यालयों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे सदस्यों के वेतन के अनुसार किया जाएगा, जो अपनी पिछली नियुक्ति में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे सदस्य को वरीयता दे रहे हैं और यदि प्राप्त वेतन की दरें भी समान हैं तो उन नियुक्तियों में उनकी सेवा की अवधि के आधार पर और यदि ऐसी सेवाओं की अवधि भी समान है तो इन नियुक्तियों में एक वृद्ध सदस्य युवा सदस्यों से वरिष्ठ होगा; और*

(f) *प्रत्यक्ष भर्ती वरिष्ठता द्वारा नियुक्त सदस्यों का मामला उनकी उम्र से निर्धारित किया जाएगा, एक बड़ा सदस्य एक छोटे सदस्य से वरिष्ठ है:*

बशर्ते कि प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में चयन के समय तैयार किए गए योग्यता आदेश को बाधित नहीं किया जाएगा और पहले के चयन के परिणामस्वरूप भर्ती किए गए व्यक्ति बाद के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।"

(5) पार्टियों पर नियम लागू करने से पहले, 1 फरवरी, 1981 से चयन ग्रेड प्रदान करने के विषय पर 7 नवंबर, 1983 को जारी निर्देश *प्रदर्शनी डीडब्ल्यू/1 बी* का भी संदर्भ लिया जा सकता है। इसमें आगे प्रावधान है कि यदि कोई है एक सर्कल से दूसरे सर्कल में स्थानांतरित होने पर वह वरिष्ठता के साथ-साथ दिए गए चयन ग्रेड को भी खो देगा। 18 जनवरी, 1985 को जारी प्रदर्शनी *डीडब्ल्यू 1/डी* का आगे संदर्भ दिया जाए कि राज्य में कर्मचारियों को इस तरह मानते हुए चयन ग्रेड देना उचित नहीं होगा, बल्कि चयन ग्रेड प्रदान करते समय सर्कल वार ताकत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता को अप्रैल 1981 में किसी समय झज्जर से रोहतक स्थानांतरित कर दिया गया था, निचली अपीलीय अदालत ने यह विचार किया कि उसने रोहतक में अपनी वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में झज्जर की अपनी सेवा का लाभ खो दिया। अधिकारियों ने 11 दिसंबर, 1985 को जारी आदेश एक्ज़िबिट *डीडब्ल्यू1/सी* में प्रतिवादी सिरी राम को चयन ग्रेड देने का आदेश पारित करते हुए पाया कि चूंकि चयन ग्रेड 1 फरवरी, 1981 से प्रदान किया जाना था, सेवा में व्यक्तियों को उपरोक्त तिथि तक केवल रोहतक को ही चयन ग्रेड देने पर विचार किया जाना था। चूंकि बलबीर सिंह वादी उस दिन रोहतक में सेवा में नहीं थे, इसलिए उन्हें चयन ग्रेड देने से इनकार कर दिया गया और सिरी राम, जो कि वहां कार्यरत चार व्यक्तियों में से रोहतक में सबसे वरिष्ठ चपरासी थे, को चयन ग्रेड दिया गया, जो कुल संख्या के 20 प्रति तक अनुमेय था। उपरोक्त नियमों के साथ-साथ निर्देशों पर भी उचित विचार करने के बाद मेरा विचार है कि अधिकारियों द्वारा बलबीर सिंह, वादी को चयन ग्रेड का लाभ देने से इनकार करना उचित नहीं था/नियम 9 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता का तरीका प्रदान करता है, जैसा कि ऊपर दिए गए नियम के अनुसार है, जो पार्टियों पर लागू होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह विचार किया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभाग या कार्यालय में नियोजित किया जाए और उनके अन्य विभागों या कार्यालयों में स्थानांतरण पर भी विचार किया गया। प्रत्येक विभाग या कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता पद पर निरंतर सेवा की लंबाई के आधार पर निर्धारित की जानी थी। नियम 9 का खंड (ई) उस स्थिति में आकस्मिकता का प्रावधान करता है जब कोई व्यक्ति एक विभाग या कार्यालय से दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरण पर उन्हें पिछले विभाग की वरिष्ठता नहीं खोनी थी। यदि स्थानांतरित व्यक्ति को अधिक वेतन मिल रहा था, तो उसे अपने स्थानांतरण की तिथि पर भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ रैंक पर या पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन उसे कम वेतन मिल रहा था। मुझे अन्य आकस्मिकताओं का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बलबीर सिंह को झज्जर से रोहतक स्थानांतरण पर सिन राम की तुलना में अधिक पाव मिल रहा था। बलबीर सिंह को

शुरुआत में 16 नवंबर, 1963 को नियुक्त किया गया था। एक साल की सेवा पूरी होने पर उन्होंने 16 नवंबर, 1964 को एक वेतन वृद्धि अर्जित की। प्रतिवादी नंबर 4 सिरी राम 16 नवंबर, 1964 को चपरासी के रूप में शुरू में सेवा में शामिल हुए। इस प्रकार उनका वेतन, जो वेतनमान के आरंभ में होगा, स्पष्ट रूप से बल्ह सिंह के वेतन से कम होगा, जिन्होंने उसी दिन एक वेतन वृद्धि अर्जित की थी। इस प्रकार, झज्जर से रोहतक स्थानांतरण पर, बलबीर सिंह को सिरी राम से वरिष्ठ होना था।

(6) सिरी राम प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री एस. एस. दलाल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि स्थानांतरण पर बीर सिंह ने वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में अपनी पिछली सेवा का लाभ खो दिया।इस तर्क को तभी स्वीकार किया जा सकता था जब सुखबीर सिंह का उनके अनुरोध पर तबादला किया गया हो।फाइल पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह दर्शाती हो कि सुखबीर सिंह ने स्वेच्छा से उनका स्थानांतरण करने की मांग की थी और अपनी पिछली सेवा का लाभ खोने की ऐसी किसी भी शर्त पर सहमत हुए थे। ऊपर दिए गए नियम 9 (ई) के बावजूद, हो सकता है कि बलबीर सिंह ने लाभ को पहले ही छोड़ दिया होता, अगर उन्होंने रोहतक में स्वैच्छिक स्थानांतरण की मांग की होती, लेकिन यह किसी के अनुरोध का मामला नहीं है।

(7) प्रतिवादी, सिरी राम, के विद्वान वकील, ने आगे ऊपर उल्लिखित निर्देशों डी डब्ल्यू 1/बी पर भरोसा किया कि इस बात पर विचार नहीं किया गया था कि राज्य स्तर की वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाना था और एक सर्कल से दूसरे सर्कल में स्थानांतरण पर व्यक्ति को वरिष्ठता के साथ-साथ चयन ग्रेड का लाभ भी खोना था। ये निर्देश वास्तव में इस मामले को शामिल नहीं करते हैं। सबसे पहले इन निर्देशों की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि पहले से ही स्थानांतरित किए गए व्यक्ति पिछले विभाग या कार्यालय में अपनी सेवा की वरिष्ठता खो देंगे। यदि यही व्याख्या होती, तो ये निर्देश स्पष्ट रूप से ऊपर पुनरुत्पादित नियमों के नियम 9 (ई) का उल्लंघन होते। हालाँकि, यदि इन निर्देशों की सही व्याख्या की जाती है, तो यह संकेत मिलता है कि चयन श्रेणी के अनुदान के बाद ही किसी अन्य सर्कल में स्थानांतरित व्यक्ति अपनी वरिष्ठता के साथ-साथ चयन श्रेणी भी खो देगा।इस प्रकार इन निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बल्कि संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए। इन निर्देशों में उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का कोई संकेत नहीं है।

(8) 1 फरवरी 1981 से चयन ग्रेड प्रदान करने के मामले में उपरोक्त निर्देशों को लागू करते समय, अधिकारियों ने उस तारीख को रोहतक में सेवा में रहने वाले व्यक्ति

पर विचार किया। जाहिर है, 1 फरवरी, 1981 को बलबीर सिंह झज्जर में सेवा में थे, न कि रोहतक में, निर्देशों की ऐसी व्याख्या की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चयन ग्रेड के अनुदान के प्रयोजनों के लिए निर्देश नवंबर 1983, में जारी किए गए थे। उस दिन यह देखा जाना चाहिए कि उस विशेष सर्कल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले कौन लोग थे और फिर वरिष्ठतम को 20 प्रतिशत क्षमता का चयन ग्रेड दिया जाए। जब ये निर्देश लागू हुए उस समय बलबीर सिंह सबसे वरिष्ठ थे और उन्हें चयन ग्रेड देने के प्रयोजन के लिए विचार किया जाना था। चयन ग्रेड वैग प्रदान करने का आदेश रोहतक कार्यालय के अधिकारियों द्वारा पारित किया जाएगा, हालांकि झज्जर कार्यालय से बकाया की वसूली के संबंध में इसका प्रभाव हो सकता है। चूंकि बलबीर सिंह सेवा में थे और 7 नवंबर, 1983 को रोहतक में प्रतिवादी सिरी राम से वरिष्ठ थे, इसलिए वह 1 फरवरी, 1981 से चयन ग्रेड देने के हकदार थे। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने बलबीर सिंह द्वारा दायर मुकदमे को सही ठहराया।

(9) ऊपर दर्ज कारणों से यह अपील स्वीकार की जाती है। निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी

इससे पहले माननीय जी. आर. मजीठिया *और एस. के. जैन, जे. जे.*

कर्मा,-याचिकाकर्ता,

बनाम

आयुक्त। रोहतक विभाजन और *अन्य,-उत्तरदाता।*

1993 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 11199।

2 दिसंबर, 1993।

अनुच्छेद 1950-पंजाब ग्राम सामान्य *भूमि* (विनियमन) *हरियाणा संशोधन अधिनियम 1980 (1981* का *2)- धारा 13 बी- अचल संपत्ति* में स्वामित्व, अधिकार के संबंध *में पंचायत के दावे के संबंध में पारित आदेश-आर-ब्लॉक विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी अपने पद के आधार पर ग्राम पंचायत की ओर से* अपील *दायर करने में सक्षम हैं।*

अभिनिर्धारित किया गया कि खंड 13ए के तहत न केवल ग्राम पंचायत बल्कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी भी किसी भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करते हुए मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह या तो निहित है या पंचायत में निहित माना जाता है।संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी, लेकिन उस पद के कारण जो वह धारण कर रहा है, अधिनियम की खंड 13ए के तहत मुकदमे में पारित सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील करने का हकदार है। खंड 13ए में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति मुकदमा या अपील दायर कर सकते हैं यदि वे विशेष रूप से अधिकृत हैं।लेकिन. खंड विकास और पंचायत अधिकारी के मामले में, मुकदमा को प्राथमिकता देने की शक्ति अधिनियम के तहत प्रदान की गई है।वह उस पद के आधार पर मुकदमा दायर कर सकता है जो उसके पास है और किसी विशिष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है।यदि वह सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है